न्यायालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम

मु0 नं0 25/2009

तारीख रजू 04.03.2009

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य आर0ए0एस0

उनवान

1. कम्पूरी पुत्री बाला पत्नी कमल, जाति मीना निवासी सोप हाल वासी भोंटवाडा तह0 टोडाभीम
2. शिवचरण
3. पुष्पेन्द्र
4. अभिलाश
5. सन्तो बेबा श्रीनारायण

(2–4) पिसरान श्रीनारायण — समस्त जाति मीना निवासी भोंटवाडा तहसील टोडाभीम

वादीगण

बनाम

1. चिरंजी पुत्र सुखीराम, जाति मीना निवासी भोंटवाडा तह0 टोडाभीम
2. तहसीलदार टोडाभीम

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :– श्री सुरेश चंद शर्मा एडवोकेट (वादीगण)

प्रतिवादी गण की और से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक 30.01.2017

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0 नं0 402 रकबा 20 ऐयर, 403 रकबा 17 ऐयर, 404 रकबा 12 ऐयर, 405 रकबा 7 ऐयर, 406 रकबा 33 ऐयर, 407 रकबा 78 ऐयर, 408 रकबा 12 ऐयर, 428 रकबा 22 ऐयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.28 है0 ग्राम भोंटवाडा तहसील टोडाभीम में स्थित है। वादीगण ने अपना हिस्सा 1/2 के रिकॉर्डेड खातेदार होने के कारण आराजी का विधिवत तकास्मा कराने का दावा पेश किया था। सुनवाई के पश्चात प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नहीं हुए। दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार टोडाभीम को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त कर बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस भिजवाने के आदेश दिये गये।

तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बंटवारा स्कीम को वादी वकील ने स्वीकार करते हुए दावा वादीगण फाइनल डिक्री करने का कथन किया। वादी वकील की बहस पर मनन करते

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

हुए पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम में अंकित नोट एवं संलग्न ग्राम भोंटवाडा की नवीन जमाबंदी संवत 2070--2073 में दर्ज नोट के अनुसार वादिया कम्पूरी पुत्री बाला का हिस्सा 1/4 दान पत्र से संतो देवी पत्नि श्रीनारायण के नाम नामांतकरण संख्या 465 निर्णय दिनांक 05.05.2016 से तब्दील हो चुका है। इस तथ्य को भी वादी वकील ने अपने बहस के दौरान स्वीकार किया। वादिया कम्पूरी का हिस्सा वादिया सन्तों को हस्तांतरित हो चुका है इसलिये वादिया कम्पूरी को कोई हिस्सा शेष नहीं रहने से निर्णय में शामिल नहीं किया जा रहा है। मुताबिक बंटवारा स्कीम वादीगण का दावा डिक्री योग्य होने से डिक्री किया जाता है।

अतः वादीगण शिवचरण, पुष्पेन्द्र, अभिलाष पिसरान श्रीनारायण हिस्सा 39/104 सन्तो बेवा श्रीनारायण हिस्सा 65/104 जाति मीना को ग्राम भोंटवाडा खसरा नं0 407 रकबा 65 ऐयर, 408 रकबा 17 ऐयर, 428 रकबा 22 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.04 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी चिरंजी पुत्र सुखीराम हि0 25/104 विला रहन पूनी देवी पत्नि मीठ्या हि0 79/104 राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा महस्वा को ग्राम भोंटवाडा की भूमि ख0 नं0 402 रकबा 20 ऐयर, 403 रकबा 17 ऐयर, 404 रकबा 12 ऐयर, 405 रकबा 7 ऐयर, 406 रकबा 33 ऐयर, 407/1 रकबा 13 ऐयर, 408/1 रकबा 2 ऐयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.04 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जेकाश्त की भूमि में मजाहमत मदाखलत न करें। नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ जुज रहेगा। तहसीलदार टोडाभीम को पालना के लिए लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी / जिला कलक्टर (seal) टोडाभीम (करौली) सत्यमेव जयते

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम